अपील सूचना अधिकार संख्या 01/2020 (RCMS 2020/00001) कृष्णलाल पुत्र चिमनलाल वधवा, सेवानिवृत पटवारी, वार्ड नं. 11, अनूपगढ बनाम तहसीलदार (राजस्व), विजयनगर

20.01.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्ण लाल एवं अप्रार्थी की ओर से श्री दिनेश कुमार मोदी, ए.ओ.के. उपस्थित हुए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी श्री कृष्ण लाल ने कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तहसीलदार, विजयनगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजस्व, विजयनगर से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्णलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2019 के द्वारा तहसीलदार, विजयनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

> तहसीलदार, भादरा के पत्र संख्या 2305 दिनांक 17.05.2004 के साथ श्री कृष्णलाल वधवा, से.नि. पटवारी का सर्विस रिकॉर्ड श्री अशकर अली, ए.ओ.के. के साथ आया था, उसकी नकल चाही गई है।

अप्रार्थी की ओर से उपस्थित श्री दिनेश कुमार मोदी, ए.ओ.के ने कथन किया कि तहसीलदार, भादरा ने अपने पत्रांक 2505 दिनांक 17.05.2004 द्वारा उक्त एलपीसी श्री असगर अली, तत्कालीन एओके के साथ भिजवाई गई थी, परन्तु तहसीलदार, विजयनगर के रिसीट रजिस्टर में उक्त सेवा पुस्तिका एवं एलपीसी प्राप्त होना नहीं पाई जाती है। इसलिए तहसीलदार, विजयनगर द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ने अपने पत्रांक 306 दिनांक 22.10.2019 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम प्रार्थना पत्र दिया जाकर तहसीलदार, भादरा द्वारा भेजे गये पत्रांक 1585 दिनांक 13.08.2019 की नकल चाही गई है। उक्त पत्र आपको व्यक्तिगत भेजा गया है, जिस पर कार्यालय को भेजने से समन्धित कोई अंकन नहीं है। अत इस पत्र का कार्यालय से कोई सम्बन्ध नहीं है एवं पत्रांक 2505 दिनाक 17.05.2004 इस कार्यालय के पत्र प्राप्ति रजिस्टर के अवलोकन उपरान्त पाया गया की इस कार्यालय को उक्त पत्र प्राप्त ही नही हुआ। सूचना के अभाव में आपको नकल नहीं दी जा सकती है। पेन्शन से सम्बन्धित उक्त कार्यालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
>
> अभिलेख के अभाव में आपका प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। आप चाहे तो उक्त जवाब के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस में प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है।
>
> -sd-
> तहसीलदार (राजस्व)
> श्रीविजयनगर

चूंकी अपीलार्थी का सर्विस रिर्कार्ड तहसीलदार, भादरा के पत्र संख्या 2505 दिनांक 17.05.2004 से श्री असगर अली तत्कालीन एओ के साथ तहसीलदार विजयनगर के कार्यालय में भिजवाया गया था, परन्तु तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर के अनुसार रिकॉर्ड उनके कार्यालय में आना नहीं

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पाया जाता है। इसलिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी के सेवा अभिलेख एवं संशोधित एलपीसी को सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क कर, तलाश करवाकर उसे उसके द्वारा चाहे गए अभिलेख की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उसे सूचना उपलब्ध करवाये।

अतः अपीलार्थी की अपील **उक्तानुसार** निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व),श्रीविजयनगर एवं प्रभारी अधिकारी(भू.अ.शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर